



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 28.07.2021

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास समीति की फर्जी रसीद बनाकर लोगो को मजदूरी दिलाने के नाम पर अवैध उगाही करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध उगाही के 5100 रुपये व 01 फर्जी रसीद बुक बरामद ।

दिनांक 27.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास समीति की फर्जी रसीद बनाकर लोगो को मजदूरी दिलाने के नाम पर अवैध उगाही करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

दिनांक 27.10.2020 को वादी समद पुत्र नौसाद निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा थाना झिंझाना पर राधेश्याम पुत्र निर्भय सिंह के विरुद्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास समीति की फर्जी रसीद बनाकर लोगो को मजदूरी दिलाने के नाम पर अवैध उगाही करने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- राधेश्याम पुत्र निर्भय सिंह निवासी 263 सरस्वती विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध उगाही के 5100 रुपये व 01 फर्जी रसीद बुक ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री समयपाल अत्री थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2- का0 जावेद राणा थाना झिंझाना जनपद शामली ।



थाना कैराना

गिरफ्तारी व अन्य कानूनी कार्यवाही के निरंतर दबाव में थाना कैराना पुलिस के समक्ष गैंगस्टर एक्ट में वांछित 06 गैंगस्टर ने किया आत्मसमर्पण:-

आज दिनांक 28.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामिली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना क्षेत्र के 06 गैंगस्टर द्वारा गिरफ्तारी के बढ़ते दबाव के चलते थाना कैराना पर आत्मसमर्पण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कैराना पर बलवा, हत्या का प्रयास एवं चोरी आदि के पूर्व में अभियोग पंजीकृत है, जिन पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. नौशाद पुत्र मंजुरा निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिली।
2. हासिम पुत्र सफी निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिली।
3. फूरकान उर्फ फरमान पुत्र मूदा निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिली।
4. इनाम पुत्र इकबाल निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिली।
5. तासीम उर्फ राजा पुत्र मूदा निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिली।
6. फरमान पुत्र इकराम निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिली।

1- आपराधिक इतिहास नौशाद पुत्र मंजुरा –

1-मु0अ0स0-38/18 धारा- 420/379/427/504/506/406/4527/380/352/323/120बी भादवि ।

2- फूरकान उर्फ फरमान पुत्र मूदा

1-मु0अ0स0- 606/17 धारा- 147/148/149/307/336/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट ।

3- इनाम पुत्र इकबाल

1-मु0अ0स0-606/17 धारा- 147/148/149/307/336/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट ।

4- तासीम उर्फ राजा पुत्र मूदा

1-मु0अ0स0-606/17 धारा- 147/148/149/307/336/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट ।

2-मु0अ0स0- 607/17 धारा- 147/148/149/323/504/506/452/307/427 भादवि ।

5- फरमान पुत्र इकराम

1-मु0अ0स0-606/17 धारा- 147/148/149/307/336/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट ।

2-मु0अ0स0 1140/17 धारा – 302/34 भादवि ।

6- हासिम पुत्र सफी

1-मु0अ0स0-606/17 धारा- 147/148/149/307/336/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट ।

2-मु0अ0स0- 607/17 धारा- 147/148/149/323/504/506/452/307/427 भादवि ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लाए 03 अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार करायें बरामद ।

आज दिनांक 28.07.2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा फायरिंग मामले में 03 अभियुक्त सद्दाम पुत्र उमरा निवासी ग्राम मंडावर, फरमान पुत्र उमरा निवासी ग्राम मंडावर थाना कैराना जनपद शामली व मुस्तफा पुत्र नवाब निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को पुलिस अभिरक्षा में लाया गया । उक्त तीनों अभियुक्तों द्वारा स्वयं की निशादेही पर अवैध तमंचे मय जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद कराए गये हैं ।

ज्ञात हो कि दिनांक 03.07.2021 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में हारून पुत्र असगर द्वारा इमरान पुत्र उमरा व अन्य पर लाठी डंडों व तमंचे से जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के सम्बन्ध में थाने पर लिखित तहरीर दाखिल की गई, दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें उक्त तीनों अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जेल चले गये थे, जिनके संबंध में थाना कैराना पुलिस द्वारा न्यायालय से अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए दिनांक 26.07.2021 को प्रत्यावेदन किया गया था । उक्त संबंध में मा० न्यायालय द्वारा कैराना पुलिस को तीनों अभियुक्तों का दिनांक 27.07.2021 को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया, जिनको कैराना पुलिस अभिरक्षा में लेकर उक्त तीनों अभियुक्तों की निशादेही पर 03 अवैध तमंचे मय 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस बरामद कराए गये हैं । बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-मु०अ०सं० 1169/17 धारा 304,414 भादवि बनाम फरमान थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2-मु०अ०सं० 476/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम फरमान थाना कैराना जनपद शामली ।
- 3-मु०अ०सं० 283/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम फरमान थाना कैराना जनपद शामली ।
- 4-मु०अ०सं० 356/21 धारा 147,148,149,307,504,506 भादवि बनाम फरमान,मुस्तफा व सद्दाम थाना कैराना जनपद शामली ।
- 5-मु०अ०सं० 382/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सद्दाम थाना कैराना जनपद शामली ।
- 6-मु०अ०सं० 384/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मुस्तफा थाना कैराना जनपद शामली ।

अभियुक्तगण की निशादेही पर बरामदगी का विवरण:-

- 1- घटना में प्रयुक्त अवैध 03 तमंचा मय 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा जानलेवा हमले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 कुल्हाडी बरामद ।

आज दिनांक 28.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा मौहल्ला पीरजादगान में पिता-पुत्र पर हुए जानलेवा हमले में वांछित 01 अभियुक्त सलमान पुत्र सलीम निवासी मौ0 पीरजादगान थाना कैराना जनपद शामली को घटना मे प्रयुक्त कुल्हाडी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 साथी पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुका हैं।

ज्ञात हो कि दिनांक 09.07.2021 को वादिया कसीमा पत्नी शमीम निवासी मौहल्ला पीरजादगान थाना कैराना जनपद शामली द्वारा मौहल्ला पीरजादगान निवासी कुछ युवको द्वारा उसके पति व पुत्र पर जानलेवा हमला किये जाने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सलमान पुत्र सलीम निवासी मौ0 पीरजादगान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना मे प्रयुक्त 01 कुल्हाडी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राहुल कादियान थाना कैराना जनपद शामली।

2. का0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

